

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 209/2022  
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या-2022/265

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
यूको बैंक, शाखा मकराना		1. श्री अब्दुल हामिद सिसोदिया पुत्र श्री मोहम्मद अली सिसोदिया 2. श्रीमति दिलशाद पत्नी श्री अब्दुल हामिद सिसोदिया, पता:- पेट्रोल पम्प के पीछे, केशर कंवर मंदिर के पास, देशवालियों की ढाणी, इस्लामपुरा, मकराना, तहसील मकराना, जिला नागौर

आदेश

दिनांक: 26-07-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) दिनांक 10.05.2013 एवं 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख रुपये मात्र) दिनांक 10.09.2015 को इस प्रकार कुल रुपये 17,00,000/- (अक्षरे सतरह लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति- आवासीय मकान, रजि. पट्टा नं. 1719 एवं गिफ्ट डीड नं. 2013000727, खसरा नं. 620, देशवालियों की ढाणी, इस्लामपुरा, मकराना, तहसील मकराना, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 5278 वर्गफीट है जो कि श्री अब्दुल हामिद पुत्र श्री मोहम्मद अली सिसोदिया के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व में प्लॉट मास्टर अली गहलोत, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में जुम्मा जी राठौड़ का मकान, एवं दक्षिण में अब्दुल हामिद का प्लॉट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 30.01.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 13,34,463.18/- (अक्षरे रुपये तेरह लाख चौतीस हजार चार सौ तिरेसठ एवं पैसे अठारह मात्र) दिनांक 30.01.2022 तक (दिनांक 30.09.2021 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज एवं अतिरिक्त खर्च, लागत इत्यादि भुगतान बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दोनो पति व पत्नि है एवं दोनों का पता भी एक समान है, इसलिए दोनो अप्रार्थीगण के, एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 15.03.2022 को एक ही रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.03.2022 को प्रेषित किये गये, जो नोटिस उन्हें प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 13,34,463.18/- (अक्षरे रुपये तेरह लाख चौतीस हजार चार सौ तिरेसठ एवं पैसे अठारह मात्र) दिनांक 30.01.2022 तक (दिनांक 30.09.2021 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज एवं अतिरिक्त खर्च, लागत इत्यादि भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

बैंक सिक्क्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति- आवासीय मकान, रजि. पट्टा नं. 1719 एवं गिफ्ट डीड नं. 2013000727, खसरा नं. 620, देशवालियों की ढाणी, इस्लामपुरा, मकराना, तहसील मकराना, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 5278 वर्गफीट है जो कि श्री अब्दुल हामिद पुत्र श्री मोहम्मद अली सिसोदिया के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व में प्लॉट मास्टर अली गहलोत, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में जुम्मा जी राठौड़ का मकान, एवं दक्षिण में अब्दुल हामिद का प्लॉट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेंट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) दिनांक 10.05.2013 एवं 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख रुपये मात्र) दिनांक 10.09.2015 को इस प्रकार कुल रुपये 17,00,000/- (अक्षरे सतरह लाख रुपये मात्र) को ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- आवासीय मकान, रजि. पट्टा नं. 1719 एवं गिफ्ट डीड नं. 2013000727, खसरा नं. 620, देशवालियों की ढाणी, इस्लामपुरा, मकराना, तहसील मकराना, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 5278 वर्गफीट है जो कि श्री अब्दुल हामिद पुत्र श्री मोहम्मद अली सिसोदिया के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व में प्लॉट मास्टर अली गहलोत, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में जुम्मा जी राठौड़ का मकान, एवं दक्षिण में अब्दुल हामिद का प्लॉट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर